



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941

No. 680] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 863(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 39 में,—
(क) उपनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) में, “और रजिस्ट्रीकरण की आरंभिक अवधि के अवसान से पूर्व बारह से अठारह महीने के भीतर फाइल किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो द्वितीय अनुसूची में विहित किए गए हैं और रजिस्ट्रीकरण की आरंभिक अवधि के अवसान से पूर्व छह माह के भीतर फाइल किया जाएगा।” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(ख) उपनियम (2) और (3) का लोप किया जाएगा।

(ग) उपनियम (4) में “और राजपत्र” शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, दूसरी अनुसूची के क्रम संख्या 9 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9.	नवीकरण फीस	व्यष्टि – 10,000/- रु. शैक्षणिक- 20,000/-रु. वाणिज्यिक- 1,00,000/-रु. एकमुश्त कृषक-एक- शून्य	पीवी-6”
-----	------------	--	---------

[फा. सं. 1-3/2019-एसडी.V]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 738(अ), तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें सा.का.नि. सं. 843(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. सं. 731(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2008, सा.का.नि. सं. 319(अ), तारीख 11 मई, 2009, सा.का.नि. सं. 783(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2009, सा.का.नि. सं. 901(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2009, सा.का.नि. सं. 949(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. सं. 900(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2012, सा.का.नि. सं. 901(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2012, सा.का.नि. सं. 902(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2012, सा.का.नि. सं. 115(अ), तारीख 20 फरवरी, 2013 और सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 15 जून, 2015 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2019

G.S.R. 863(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Rules, 2003 (herein after referred to as the said rules), in rule 39,-
 - (a) In sub-rule (1), —
 - (i) In clause (b), for the words “and filed during twelve to eighteen months”, the words “,be accompanied with fee as prescribed in the Second Schedule and filed during the period of six months” shall be substituted.
 - (ii) clause (c) shall be omitted.
 - (b) sub-rules (2) and (3) shall be omitted.
 - (c) in the sub-rule (4), the words “and in the Official Gazette” shall be omitted.

3. In the said rules, in the Second Schedule for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“9.	Renewal Fee	Individuals - Rs. 10,000/- Educational- Rs 20,000/- Commercial -Rs 1,00,000/- One lump sum Farmers-Nil	PV-6”
-----	-------------	--	-------

[F. No.1-3/2019-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 738 (E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 843 (E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731 (E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319 (E), dated the 11th May, 2009, G.S.R. 783 (E), dated the 27th October, 2009, G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2009, G.S.R. 949(E), dated the 3rd December, 2010, G.S.R. 900(E), dated the 17th December, 2012, G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2012, G.S.R. 902(E), dated the 17th December, 2012, G.S.R. 115 (E), dated the 20th February, 2013 and G.S.R. 496 (E) dated 15th June, 2015.